तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-2-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उप. प्रार्थीगण सं. 5, 7 को दिनांक 16-1-25 एवं प्रार्थीगण स. 3 व 4 को तामील तलबी 11-7-25 से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है प्रार्थीगण सं. 2, 6, 8, को को कई बार अवसर करते पेश करने जवाब अवसर दिये जाये जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बन्द कर पत्रावली निस्तारित की जाती है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	
4-3-26	प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) बटवारा प्रकरण बनाम सरकार मे निर्णय दिनांक 18-2-26 को टाइप करते समय प्रार्थना पत्र संख्या 21/2025 के स्थान पर 83/दावा/2025 सहवन से दर्ज हो गया है जिसको सही किया जाना उचित होगा अत: निर्णय दिनांक 18-2-26 बटवारा मे प्रार्थना पत्र 21/प्रा०पत्र/2025 लाल स्याही से दर्ज किया जाने का नोट अंकित किया जावे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर ... अहलकाम ... हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

83 / दावा / 2025
दायरा दिनांक 16.09.2025

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

बउनवान

1. प्रभू आ0 रामनाथ जाति मीना निवासी ग्राम चमनगंज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2 कमलेश आ0 राजाराम जाति मीना निवासी ग्राम चमनगंज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3 छोटा पुत्री रामनाथ पत्नि हनुमान जाति मीना निवासी ग्राम बिलोता तहसील उनियारा जिला टोंक राज0।
4 फूला पुत्री रामनाथ पत्नि रामजीलाल जाति मीना निवासी ग्राम एकडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज0।
5 मुकेश आ0 राजाराम जाति मीना निवासी ग्राम चमनगंज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
6 हरकेश आ0 रामनिवास जाति मीना निवासी ग्राम चमनगंज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
7 जसराम आ0 रामनिवास जाति मीना निवासी ग्राम चमनगंज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
8 सुरेश आ0 राजाराम जाति मीना निवासी ग्राम चमनगंज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थीगण

अधिवक्ता – श्री धीरज जैन एडवोकेट (वादी)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट</u>

दिनांकः– 18.02.2026

<u>–निर्णय–</u>

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 29 रकबा 0.51 हैक्टर, ख0सं0 30 रकबा 0.80 हैक्टर, ख0सं0 31 रकबा 1.07 हैक्टर, कुल किता 3 योग रकबा 2.38 हैक्टर वाके ग्राम चन्द्रगंज पटवार हल्का गुढा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। जो कि प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 व 8 व मृतक रामनिवास आ0 रामनाथ जाति मीना के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है एंव अप्रार्थी संख्या 6 व 7 मृतक रामनिवास के पुत्र व वैध कायम मुकाम है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 8 की उपरोक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई वैध रास्ता नही है। भूमि में आने जाने के लिए ग्राम चमनगंज से ग्राम कल्याणपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक को जाने वाले आम रास्ते ख0सं0 85 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गै0मु0रास्ता से ख0सं0 76 67 व 66 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण 2 लगायत 8 की कृषि भूमि ख0सं0 29 रकबा 0.51 हैक्टर तक रास्ता चाहता है। प्रार्थी व सहखातेदारान को रास्ते के अभाव में अपनी कृषि भूमि में फसल करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पडता है। ओर निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि ख0सं0 29 तक आने जाने हेतु ग्राम चमनगंज से ग्राम कल्याणपुरा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

तहसील उनियारा जिला टोंक को जाने वाले आम रास्ते ख0सं0 85 रकबा 0.20 हैक्टर गै0मु0रास्ते से ख0सं0 76,67,व 66 ग्राम चंन्द्रगंज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे ख0सं0 29 की कृषि भूमि तक रास्ता दिलवाया जावें प्रार्थी जो भी राशि निर्धारित होगी जमा कराने को तैयार है प्रार्थी को रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2,6,8 की तरफ से वकालतनामा वास्ते जवाब दिनांक 16.05.2025 को पेश हुआ एंव अप्रार्थी संख्या 5 व 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की रजिस्टर्ड तलवी नोटिस मय रसीद 11.07.2025 को पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 2,6 व 8 के अधिवक्ता को 7–8 वास्ते जवाब पेश करने अवसर दिए गए किन्तु अप्रार्थी संख्या 2,6,8 द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया अप्रार्थी संख्या 1 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा जवाब पेश नही कर रास्ता बाबत मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है प्रार्थी को ख0सं0 66,67,76 गै0मु0सिवायचक में से रास्ता दिया जाने का प्रस्ताव न्यायलय में पेश किया गया जो प्रस्तावित रास्ता लघुतम दूरी होने का भी कथन किया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ की प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार इन्द्रगढ़ की मौका रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता नही होना जाहिर किया गया है एंव मौका रिपोर्ट में ख0सं0 66,67 एंव 76 सिवायचक कृषि भूमि से जोकि लघुतम दूरी का होता है दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की गई।

अतः प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 29 रकबा 0.51 तक कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(क) राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 एंव तहसीलदार इन्द्रगढ़ की मौका रिपोर्ट के अनुसार सुखाधिकार के तहत रास्ता 4 मीटर की चौडाई मे दिया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(क) राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के तहत स्वीकार किया जाता है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 2 लगायत 8 की कृषि भूमि खसरा संख्या 29 रकबा 0.51 हैक्टर, ख0सं0 30 रकबा 0.80 हैक्टर, ख0सं0 31 रकबा 1.07 हैक्टर, कुल किता 3 योग रकबा 2.38 हैक्टर वाके ग्राम चन्द्रगंज पटवार हल्का गुढा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि पर आने जाने हेतु तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में दर्शायेनुसार ग्राम चमनगंज से ग्राम कल्याणपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक को जाने वाले आम रास्ते ख0सं0 85 गै0मु0रास्ता से शुरू होकर ख0सं0 76 गै0मु0सिवायचक, ख0सं0 67 गै0मु0सिवायचक, ख0सं0 66 गै0मु0सिवायचक की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 29 की मेड तक 4 मीटर की चौडाई में रास्ता बहाल किये जाने के आदेश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिए जाते है। ख0सं0 66 में 24 वर्गमीटर, ख0सं0 67 में 288 वर्ग मीटर, ख0सं0 76 में 512 वर्गमीटर लम्बाई एंव 4 मीटर चौडाई ग्राम चमनगंज तहसील इन्द्रगढ़ जिसका कुल रकबा 896 वर्गमीटर रास्ते के उपयोग/उपभोग में ली जावेगी ग्राम चमनगंज की डीएलसी दर 920000/– रूपये प्रति हैक्टर की दर से प्रतिकर राशि 82432/– की दुगनी राशि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

164864/–रूपये राजकोष में जमा कराने पर उक्तानुसार रास्ता प्रदत्त किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा।

तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रतिकर राशि 164864/–रूपये जर्ये चालान राजकोष में जमा करवाने पर प्रार्थी को प्रदत्त किया गया रास्ता राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें। उक्त रास्ते की भूमि का उपयोग/उपभोग सार्वजनिक होगां। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

नोट : मूल निर्णय दिनांक 18.2.2026 मे सहवन से. 83/दावा/25 व दायरा दिनांक 16-9-2025 अकिते हो गया। जिसके स्थान पर 81/प्रा.पत्र/25 व दायरा डिनाकि 7.3-25 पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner